कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन,बाणगंगा,भोपाल

क्रमांक 148 /प्र.अ./विधि(पी.ए.)/लोस्वायांवि./2026 भोपाल, दिनांक 25/03/2026

//आदेश //

इस आदेश के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट याचिका क्रमांक 40857/2025 (सुंदर लाल पवार विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य) में शामिल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड छिन्दवाड़ा के अधीनस्थ कार्यरत श्री सुंदर लाल पवार (दैनिक वेतन भोगी वाहन चालक) के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 10.11.2025 का निराकरण किया जा रहा है।

(1) श्री सुंदर लाल पवार दैनिक वेतन भोगी श्रमिक वाहन चालक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट पिटीशन क. 40857/2025 दायर कर माननीय न्यायालय से निम्न सहायता चाही गई थी :–

> 7.1 In view of that "petitioners humbly request to this Hon'bel court be pleased to direct the respondents to comply the Annexure P/1 13.12.2010 along-with arrears of salary with 12% interest from the date due payment to realization of the payment.
>
> 7.2 That this Hon'bel court be pleased to quash the order dated 25-07-2017 and granted the benefit from 28-08-1986 from the due date to realization of the payment with arrears, payment along-with 18% interest.

(2) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उक्त रिट पिटीशन का निराकरण पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के माध्यम से किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

> 4) Under these circumstances, the petition is disposed of with a direction to the petitioner to file a comprehensive representation to respondent No.2/Engineer-in-Chief, Department of Public Health Engineering, Bhopal regarding his claims with respect to arrears of classified employee within a period of 10 days from today and in case such representation is filed, respondent No.2 is directed to dwell upon the same and pass a self contained speaking order in accordance with law and communicate the outcome to the petitioner within a period of 90 days from the date of receipt of such representation.
>
> 5) The Authority is also at liberty to examine the classification order of the petitioner and also to examine that whether the order of classification is still intact or not. If the petitioner is found entitled for the benefits as claimed by him, the aforesaid benefits be also extended to him within the aforesaid period.

(3) रिट याचिका क. 40857/2025 में पारित निर्णय दिनांक 06.11.2025 के अनुक्रम में वादी कर्मचारी की ओर से एक अभ्यावेदन दिनांक 10.11.2025 को प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जो निम्नानुसार है :–

To,

1. State of M.P. Through Its
   Chief secretary Department of public health Engineering Vallabh Bhawan Bhopal District Bhopal M.P.
2. Engineering in chief Department of
   public Health Engineering Satpura Bhawan
   Bhopal District Bhopal M.P.
3. The Chief Engineering
   public Health Engineering Department
   Near By DamohNaka Jabalpur District Jabalpur M.P.
4. The Executive Engineering
   public Health Engineering Department
   Khajri Road Chhindwara District Chhindwara M.P.

Sub.- FOR COMPLIANCE OF ORDER PASSED BY THE "HON'BEL HIGH COURT IN, W.P.NO. 40587/2025 DATED 06.11.2025.

Respected sir

1. Mr. Sunder Lal Pawar, filed a writ petition before Hon'bel court and challenge the limpugned action of the respondent, as well as, they are not granted the benefit of the "Areas of salary and other benefits According to Annexure P/1.

2. Thereafter petitioner files the writ petition, which is bearing No. 40587/2025 and seeking fallowing relief as under.

7.1 In view of that "petitioners humbly request to this Hon'bel court be pleased to direct the respondents to comply the Annexure P/1 13.12.2010 along-with arrears of salary with 12% interest from the date of due payment to realization of the payment.

7.2 That this Hon'bel Court be pleased to quash the order dated 27.05.2017 and granted the benefit from 28.08.1986 from the due date to realization of the payment with arrears, payment along-with 18% interest.

7.3 That Hon'ble Court be pleased to call for the entire record pertaining to the petitioner for kind perusal of this Hon'ble Court.

7.4 Any other reliefs which this Hon'bel Court deem fit and proper may kindly be awarded in the favour of the petitioner.

This Hon'bel be pleased to entertain the writ petition No. 40587 / 2025 on 06.11.2025 and allowed the writ petition and passed the fallowing order which is as under

Paragraph No.04.:- "Under these circumstances, the petition is disposed of with a direction to the petitioner to file a comprehensive representation to respondent No.02/Engineer-in-chief, Department of public Health Engineering, Bhopal regarding his claim, with respect to

arrears of classified employee within a period of 10 days from today from today and in case such representation is filed, respondent No.02, is directed to dwell upon the same and pass a self contained speaking order in accordance with law and communicate the outcome to the petitioner within a period of 90 days from the date of receipt of such representations.

Paragraph No.05.:- The Authority is also at liberty to examine the classification order of the petitioner and also to examine that whether the order of classification the still is intact or not, if the petitioner found to entitled for the benefits as claimed by him, the aforesaid benefit be also extend to him within a aforesaid period."

3. That it is respectfully prays the petitioner, specifically mention in the relief No. 7.2. "This Hon'bel Court be pleased to quash the order dated 27.05.2017 and granted the benefit from 28.08.1986, from the date of classification from the due date to realization of the payment with arrears, payment along-with 18% interest. Apart from that My lord the passed the order and direct to respondent/ Authority to grant the benefits.

that "petitioners humbly request to this Hon'bel court he pleased to direct the respondents to comply the Annexure P/1 13.12.2010 along-with arrears of salary with 12% interest from the date of due payment to realization of the payment. with the aforesaid the writ petition is disposed off. " The Certified copy of the order dated 25.04.2025 is Kind Annexed for perusal of this Hon'bel Authority."

4. That main request of the petitioner, petitioner seeking benefits According to order passed by Hon'ble High Court in the case of "Kamta Prasas Vs State Of M.P".

I. That the petitioner entered in the service in the department on 28.02.1986

II. That the respondents passed the order on 13.12.2010 and classified to the petitioner from 25.08.1986. But till the date arrears of salary is not paid by the respondent till the date.

III. That in the case of Kamta Prasad Vs State Of M.P. (in the Wirt petition No. 4018/2020 dated 26.08.2021, petitioner seeking same relief

So for as, petitioner is requested that be please to comply the order of Hon'bel High Court dated 06.11. 2025 in the positive manner and granted all the benefits according to order passed by the Hon'bel High Court,

(4) रिट याचिका कमांक 40857/2025 में पारित निर्णय दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड छिदवाड़ा के अधीनस्थ कार्यरत वादी कर्मचारी के स्वत्वों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :–

(अ) याचिकाकर्ता का स्थाई वर्गीकरण अस्तित्व में नहीं है तथा उन्हें किसी भी तरह की एरियर राशि की पात्रता नहीं आती हैः–

(i) वादी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन में मांग की गयी है कि उसे स्थायी वर्गीकृत किये जाने के दिनांक 28.08.86 से वाहन चालक के पद का न्यूनतम वेतनमान एवं वेतन अंतर की राशि दिनांक 13.12.2010 तक की ब्याज सहित भुगतान की जावे।

(ii) इस संबंध में यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 1139 दिनांक 03.02.2003 के आशय को समझने में अधिनस्थ कार्यरत अधिकांश कार्यपालन यंत्री कार्यालयों द्वारा चूक किये जाने के कारण उनके अधिनस्थ कार्यरत सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी वर्गीकृत घोषित किया गया था। इस संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के आदेश क्रमांक 6206 दिनांक 15.07.2011 के माध्यम से जारी किया गया था जिसमें यह उल्लेख था कि आदेश क्रमांक 1139 दिनांक 03.02.2003 के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुपालन में मात्र ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जो रिक्त पद के विरूद्ध कार्य कर रहे हो, उन्हें ही स्थायी वर्गीकृत किया जाना था।

(iii) म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ16–01/2016/1/चौतीस भोपाल दिनांक 18.01.2017 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 7 अगस्त 2018 एवं प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 8785 दिनांक 10.10.2018 के माध्यम से कार्यपालन यंत्री स्तर से स्थायी वर्गीकरण के संबंध में की गयी त्रुटिपूर्ण कार्यवाही की जांच मुख्य अभियंता स्तर से की जाकर, त्रुटिपूर्ण स्थायी वर्गीकरण आदेशों को निरस्त करने की कार्यवाही करने के आदेश जारी किये गये थे। वादी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी श्री सुंदर लाल पवार के स्थाई वर्गीकरण के सम्बन्ध में भी मुख्य अभियंता जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक 508 दिनांक 28.01.2017 के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत आदेश क्रमांक 125 दिनांक 27.05.2017 के माध्यम से, उनको स्थाई वर्गीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेश को, प्रारम्भ से ही शून्य घोषित कर दिया गया था। श्री पवार द्वारा रिट याचिका में उल्लेख किया गया है कि उनके उक्त आदेश के विरूद्ध प्रमुख अभियंता के समक्ष अपील दिनांक 10.12.2017 प्रस्तुत की थी किन्तू इस कार्यालय के रिकार्ड में यह दस्तावेज कभी प्राप्त नहीं हुआ है। उपरोक्तानुसार वादी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी श्री सुंदर लाल पवार को स्थाई वर्गीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेश अस्तित्व में ही नहीं है ।

(iv) इस संबंध में भी यह स्पष्ट किया जाता है कि **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "म0प्र0 शासन एवं अन्य विरूद्ध ललित कुमार वर्मा (2007 1 एस.सी.सी.575)" एवं अवमानना याचिका क्रमांक 771/2015 "रामनरेश रावत विरूद्ध श्री अश्विनी राय एवं अन्य"** में अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त यह भी निर्धारित किया गया है कि मात्र 6 माह/240 दिवस पर दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के रूप में कार्य करने से स्थाई वर्गीकरण की पात्रता उत्पन्न नहीं होती, जब तक कि इस हेतु स्थाई वर्गीकृत रिक्त पद उपलब्ध न हो।

(v) श्री सुदंरलाल पवार के दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के रूप में नियोजन के समय खंड छिदंवाडा के अधीनस्थ स्थायी वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी के पद ना तो स्वीकृत थे

और ना ही रिक्त थे ऐसी स्थिति में श्री सुदंरलाल पवार रिक्त पद के विरूद्ध कार्यरत नहीं थे तथा निम्नलिखित न्यायदृष्टांतों के अनुसार वे स्थायी वर्गीकरण के योग्य भी नहीं थे :–

1. माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील क्रमांक 6678/2004, म.प्र.शासन एवं अन्य विरूद्ध ओमकार प्रसाद पटेल निर्णय दिनांक 07.12.2005
2. माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील क्रमांक 5185/2006, म.प्र.शासन एवं अन्य विरूद्ध ललित कुमार वर्मा निर्णय दिनांक 24.11.2006
3. माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील क्रमांक 7006–7008/2009, रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य निर्णय दिनांक 17.09.2015
4. माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील क्रमांक 1265/2006, म.प्र.हाउसिंग बोर्ड विरूद्ध मनोज श्रीवास्तव निर्णय दिनांक 24.02.2006
5. माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील क्रमांक 337/2002, महेन्द्र एल.जैन एवं अन्य विरूद्ध इंदौर डेवलपमेंट अथारिटी एवं अन्य निर्णय दिनांक 22.11.2004
6. माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर की रिट पिटीशन क्रमांक 1992/2006, म.प्र.शासन एवं अन्य विरूद्ध साहब सिंह, निर्णय दिनांक 05.05.2011
7. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुरं की रिट पिटीशन क्रमांक 4148/2000, 4149/2000, 4151/2000 एवं 4152/2000 दिनांक 02.02.2017

(vi) उपरोक्तानुसार वादी कर्मचारी श्री सुंदर लाल पवार द्वारा की गयी मांग कि उन्हें वर्गीकृत दिनांक 28.08.1986 से वाहन चालक के पद के ग्रेडिड वेतनमान की दर से वेतन के अंतर की राशि का भुगतान किया जावे, उनके स्थाई वर्गीकरण आदेश के प्रारम्भ से ही शून्य घोषित हो जाने के कारण, किसी भी तरह के विधिक तथ्यों पर आधारित नहीं होने के कारण अमान्य किये जाने योग्य है। उपरोक्त तथ्यों के बावजूद वादी कर्मचारी के मामले में उन्हें दिनांक 13.12.2010 से दिनांक 31.10.2022 तक की एरियर राशि भुगतान की जा चुकी है।

(ब) स्थायी वर्गीकृत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को स्थाई वर्गीकरण के दिनांक से एरियर राशि की मांग संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों में स्थाई वर्गीकरण के आदेश दिनांक से ही एरियर राशि दिये जाने संबंधी न्यायालयीन निर्णय, देश की सर्वोच्च न्यायालय से भी अंतिम हो चुके है। ऐसी स्थिति मे इस तरह की मांग पुनः करना रिसज्युडीकाटा के सिद्धांत के अनुसार प्रतिबंधित हैं:–

(i) इस संबंध में आपको अवगत कराया जाता है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2009–10 के दौरान दायर किये गये रिट याचिका प्रकरणों की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता कर्मचारियों की ओर से माननीय रिट न्यायालय से कहा गया था कि वे स्थायी वर्गीकरण आदेश में उल्लेखित दिनांक से अपने लाभों को छोड़ने के लिए सहमत है तथा उन्हें लाभ स्थायी वर्गीकरण के आदेश दिनांक से दे दिए जावें । ऐसी बहस के बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 595/2010 (सुल्तान सिंह नरवरिया बनाम मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 29.07.2010 में याचिकाकर्ता को जिस पद पर स्थायी वर्गीकृत किया गया है, उस पद का नियमित वेतनमान, कार्यपालन यंत्री द्वारा जारी किए गए कार्यालयीन आदेश के दिनांक यानि दिनांक 27.11.2004 से देने के आदेश दिए गए थे। निर्णय निम्नानुसार है'–

Considering the above facts and circumstances of the case, it is apparent that the present case is also covered by the judgment passed in Bhaskar Sharma (supra) case. Therefore, the writ petitions allowed. The petitioner shall be entitled for regular pay scale of the post of Pump Driver on which he was classified as permanent from the date; the order of classification has been issued by the respondent i.e. with effect from 27/11/2004. The petitioner shall also be entitled for arrears of pay from the date of the order or classification as Pump Driver i.e. with effect from 27/11/2004. The aforesaid exercise shall be concluded within a period of six months from the date of receipt of a certified copy this order.

With the aforesaid, the writ petition stand allowed. No order as to costs

(ii) इसके अतिरिक्त स्थायी वर्गीकरण के दिनांक से एरियर राशि का लाभ प्राप्त करने हेतु रिट याचिका कमांक 2600/2009 (महेश मिश्रा बनाम मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य) के साथ अटैच लगभग 110 रिट याचिकाओं का निर्णय दिनांक 18.5.2011 को पारित हुआ था, जिसमें भी माननीय न्यायालय ने स्थायी वर्गीकरण के आदेश दिनांक से ही लाभ दिया था तथा निर्णय में यह स्पष्ट उल्लेख किया था कि याचिकाकर्तागणों को एरियर राशि का लाभ आदेश जारी करने के दिनांक से ही प्राप्त हो सकेंगा तथा उन्हें आदेश में उल्लेखित स्थायी वर्गीकरण दिनांक से एरियर राशि का लाभ प्राप्त नहीं होगा। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी उल्लेख किया था कि याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं ने इन रिट याचिकाओं के माध्यम से चाहें गए दूसरे सभी लाभों को स्वयं ही छोड़ दिया है। निर्णय निम्नानुसार है'–

The Court does not find any reason, not to grant the relief that has already been granted by this Court to several identically placed employees of the respondents. It shall also not be out of place to mention that the respondents themselves have implemented the directions given by this Court in Bhaskar Sharma's case to many of its daily wagers, who were classified and conferred the status of permanent employee. Hence in the opinion of this Court, the respondent cannot be permitted to discriminate between identically situated employees in the matter of grant of pay scale to them when they themselves have already classified the petitioners as permanent employees vide different classification orders passed in their cases from time to time. Accordingly, all these petitiones are finally disposed of with directions to the respondents to grant regular pay scale to all the petitioners w.e.f the date of clasification orders by which they were

classified and conferred the status of permanent employee. The arrears of salary be paid to them within a period of four months of receipt of certified copy of this order. it is made clear that the petitioners shall not be entitled to regular pay scale from the date they were classified as permanent employee in the classification order and this benefit of regular pay scale shall be given to them only from the date of passing of classification orders in their cases.

Needless to mention that the counsel appearing on behalf of the petitioners have given up all other reliefs. It any, claimed by them in the present petition. Hence all other reliefs except the relief granted by today's order is dismissed as not pressed. There shall be no order to costs.

(iii) यहॉ यह उल्लेख आवश्यक है कि रिट याचिका का यही निर्णय रिट अपील कमांक 110/2011 (मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य बनाम सुल्तान सिंह नरवरिया), 1265/2010, 1266/2010 आदि में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2011 द्वारा तथा बाद में विभाग द्वारा दायर की गई एस.एल.पी (सिविल) कमांक 20025/2011 (मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य बनाम सुल्तान सिंह नरवरिया) एवं अन्य कनेक्टेड मैटर में यथावत मान्य हुआ था तथा बाद में विभाग की 178 एस.एल.पी प्रकरणों में शामिल 519 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कार्यालयीन आदेश दिनांक से ही एरियर राशि का भुगतान किया गया था। विभागीय अवमानना याचिका कमांक 771/2015 (रामनरेश रावत एवं अन्य बनाम अश्विनी राय एंव अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2016 में इन लाभों को समुचित बताया गया था। "रामनरेश रावत" में निर्णय दिनांक 15.12.2016 की कण्डिका 4 में भी निम्नानुसार उल्लेख है :–

It is also argued that even the direction of the High Court was to grant pay in the regular pay-scale with effect from the date of classification orders and there is no direction given by the High Court to give them increments etc. which is admissible only when a person is appointed on regular basis or whose services are regularised, which has not happened in the case of the petitioners.

(iv) उपरोक्तानुसार यह स्पष्ट है कि सारणी के रूप में जारी किए गए स्थायी वर्गीकरण आदेशों के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किए गए स्थायी वर्गीकरण दिनांक से एरियर राशि प्राप्त करने संबंधी रिट याचिकाओं का निर्धारण माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा काफी पूर्व में ही स्थायी वर्गीकरण आदेश दिनांक से एरियर राशि प्रदान करने के आदेश के माध्यम से किया जा चुका है तथा इन आदेशों को देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा भी अंतिमता प्रदान की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में स्थायी वर्गीकरण दिनांक से एरियर राशि प्राप्त करने के प्रकरणों को दोबारा माननीय न्यायालय के समक्ष लाना रिस ज्युडीकाटा के सिद्धांत के

अनुसार किसी भी रूप में विधि अनुकूल नहीं है। इस आधार पर भी याचिकाकर्ता का दावा अमान्य किये जाने योग्य है।

(स) प्रस्तुत दावा परिसीमा अधिनियम 1963 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये विभिन्न निर्णयों में दी गई समय–सीमा के बाहर होने के कारण अमान्य किये जाने योग्य है :–

वादी कर्मचारी द्वारा उनके अभ्यावेदन में प्रस्तुत की गयी दिनांक 28.08.1986 से दिनांक 13.12.2010 तक की अवधि की वेतन एरियर राशि की मांग का निर्धारण एक अन्य सिद्धांत जो निम्न विधिक अधिनियमों एवं न्याय दृष्टांतों में समाहित है, के आधार पर भी किया जाता है :–

(i) परिसीमा अधिनियम 1963 में जिस प्रकृति के प्रकरणों के लिये माननीय न्यायालय के समक्ष वाद दायर करने सीमा निर्धारित की गई है, उस प्रकृति के प्रकरणों को छोड़कर, अन्य सभी तरह के प्रकरणों हेतू समय–सीमा **Cause of Action** उत्पन्न होने के उपरांत अधिकतम 03 वर्ष तक निर्धारित की गई है। त्रुटिपूर्ण वेतन को सुधारना एवं ऐसे सुधार से उत्पन्न होने वाली वेतन अंतर राशि का भुगतान प्राप्त करना , सम्बन्धी प्रकरण इसी प्रकृति के अंतर्गत आते है । उपरोक्तानुसार इस प्रकृति के प्रकरणों में याचिकाकर्ता कर्मचारियों को अपने दावों के सम्बन्ध में **Cause of Action** उत्पन्न होने के **03 वर्ष** के भीतर न्यायालय के समक्ष वाद दायर करना चाहिए ।

(ii) समान प्रकृति के 02 प्रकरणों क्रमशः रिट पिटीशन क्र 8014/2022 (सुरेश कुमार तिवारी एवं 11 अन्य विरुद्ध म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 11 अप्रैल 2022 एवं रिट पिटीशन क्र. 13892/2022 (ह्रदयराम यादव एवं 10 अन्य विरुद्ध म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 24 जून 2022 में पारित निर्णय दिनांक 01 मार्च 2023, में निम्नानुसार उल्लेख है :–

> The law laid down by the Supreme Court in the case of **M.R. Gupta Versus Union of India and Others (1995) 5 SCC 628** provides that the law of limitation will be applicable and the petitioners will not be entitled to claim arrears of salary for which the cause of action arises on every 1st day of the month when their salary becomes due for a period exceeding three years prior to the date of filing of the writ petition.
>
> Accordingly, this writ petition can be disposed of modifying the order dated 10.11.2020 passed by the Gwalior Bench of the High Court of Madhya Pradesh in

Writ Petition No.16421/2020 (Rakesh Kumar Shrivastava & Others versus State of Madhya Pradesh & Others) to the extent **that in case the petitioners' classification is intact then they will be entitled to the minimum of pay scale admissible to the post on which they are working in the light of the law laid down by the Supreme Court in the case of Ram Naresh Rawat versus Ashwini Ray 2017 (Volume 3) SCC 436 but their arrears will be restricted for a period of three years prior to the date of filing of the present writ petition** i.e. three years prior to 1.4.2022 in the light of the law laid down by the Supreme Court in the case of M.R. Gupta Versus Union of India and Others (supra).

In above terms, this writ petition is disposed of.

(iii) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर द्वारा निर्णित इस प्रकृति के 01 अन्य प्रकरण रिट पिटीशन क. 4802/2023 (श्रीनिवास मिश्रा विरुद्ध म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 01 मार्च 2023, में निम्नानुसार उल्लेख है :–

It is made clear that if respondents authorities found paid for permanent classification, then to pay him wages in accordance with the law laid down by Supreme Court in Ram Naresh Rawat (supra). However, it is made clear that arrears will be restricted to a period of three years and notional fixation will be made as revised from time to time.

(iv) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर द्वारा निर्णित इस प्रकृति के 01 अन्य प्रकरण रिट पिटीशन क 11036/2021 (नारायण प्रसाद पांडेय विरुद्ध म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 16 जुलाई 2021 में निम्नानुसार उल्लेख है :–

This Court has granted benefit to similarly situated employees vide its order dated 02.06.2012 in case of A.L. Thakur (supra). Petitioner was sleeping over his right and did not file writ petition immediately. However, considering the fact that fixation of pay and grant of pay scale is recurring cause of action, therefore, it is ordered that petitioner may be granted similar benefit of pay scale mentioned above and petitioner shall be entitled

to revised pay scale and pension. **Petitioner is only entitled for arrears of his pay scale for period of three years prior to date of filing of writ petition i.e. 24.06.2021.**

इस निर्णय के विरुद्ध की युगल पीठ के समक्ष दायर की गयी रिट अपील क 808/2021 (नारायण प्रसाद पांडेय विरुद्ध म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 16 सितम्बर 2021 में निम्नानुसार उल्लेख है :–

Even that argument of the learned counsel for the appellant is hardly convincing because the appeal itself was dismissed by the Division Bench on 09.12.2013 and an SLP thereagainst was dismissed on 09.01.2015 by the Supreme Court. The writ petition has been filed highly belatedly on 24.06.2021. **In our view, therefore, the direction of the learned Single Bench to confine the payment of arrears of his pay scale for the period of three years prior to the date of filing writ petition, cannot be faulted.**

However, it is clarified that the appellant shall be entitled to notional benefits of fixation of pay and grant of pay scale and also the revision of the retiral benefits/pension for the intervening period while computing the arrears of three years and also the revised pension which is to be now paid to him while making compliance of the order of the learned Single Judge which shall be made within the period of two months from the date a copy of this order is produced before the respondents.

With the aforesaid direction, the writ appeal is disposed of

(v) विभाग द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर द्वारा पारित किये गये निर्णयों में उल्लेखित माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित न्यायदृष्टांत **"एम.आर.गुप्ता बनाम भारत संघ एवं अन्य (1995) 5 SCC 628"** का अध्ययन किया गया है। उक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में निम्न दो बिन्दुओं का अभिनिर्धारण किया गया है :–

(i) त्रुटिपूर्ण वेतन प्राप्त होने वाले मामलों में "Cause of action" यानि **"विवाद का कारण"** सिर्फ एक बार उस समय पैदा नहीं होता जबकि जिस समय कोई लाभ दिया जाना था, नहीं दिया गया अथवा सरकार द्वारा कर्मचारी के दावे को खारिज कर दिया गया हो । बल्कि यह निरंतर रूप से हर माह भुगतान होने वाले वेतन के साथ उत्पन्न होते रहता है क्योंकि उसे जो वेतन मिल रहा है वह नियमों के अनुरूप नहीं है। जब तक कर्मचारी सेवा में है तब तक हर माह उसे मिलने वाले वेतन के साथ ही एक ताजा "Cause of action" उत्पन्न होता है। इसे "Continuous cause of action" का सिद्धांत कहा जाता है। उपरोक्तानुसार गलत वेतन को सुधारने के मामलों में लिमिटेशन एक्ट के प्रावधानों को लागू करने के लिये, निर्धारित अवधि की गणना करते समय सेवारत रहते हुये कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती ।

(ii)यदि आवेदक का दावा मेरिट के आधार पर सही पाया जाता है तो उसे भविष्य में नियमों के हिसाब से वेतन का भुगतान किया जाना चाहिये तथा इस मामले में पूर्व के समय के वेतन एरियर के भुगतान के मामले में लिमिटेशन का प्रश्न उत्पन्न होगा। दूसरे शब्दों में आवेदक का दावा यदि कोई है जो त्रुटिपूर्ण वेतन प्राप्ति के कारण वेतन एरियर की प्राप्ति से संबंधित है, जिसकी गणना वेतन अंतर की राशि के आधार पर की जाती है तो वह लिमिटेशन एक्ट में दी गई समय–सीमा के अंतर्गत आयेगा और वह एक्ट में प्रावधानित अवधि से अधिक अवधि की एरियर राशि का पात्र नहीं होगा। यानि प्रकरण दायर करने में **03 वर्ष से अधिक का** विलंब करने का खामियाजा याचिकाकर्ता कर्मचारी को एरियर राशि के नुकसान के रूप में भुगतना होगा। यद्यपि उसके वर्तमान वेतन को काल्पनिक निर्धारण के आधार पर पूर्णतः सुधार दिया जावेगा।

(vi) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील क्रमांक 5151–5152 /2008 "भारत संघ एवं अन्य बनाम तरसेम सिंह"** में पारित निर्णय **दिनांक 13 अगस्त 2008** में **"एम.आर. गुप्ता (सुप्रा)"** में निर्धारित इस सिद्वांत का अनुसरण करते हुए एक अन्य निर्णय **Shiv Dass v. Union of India and Others (2007) 9 SCC 274** का उल्लेख करते हुए उस निर्णय के निम्न भाग का उल्लेख किया गया है :–

10. In the case of pension the cause of action actually continues from month to month. That, however, cannot be a ground to overlook delay in filing the petition. ... **If petition is filed beyond a reasonable period say three years normally the Court would reject the same or restrict the relief which could be granted to a reasonable period of about three years."**

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निर्णय में **recurring/successive wrongs** के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:-

5. To summarise, normally, a belated service related claim will be rejected on the ground of delay and laches (where remedy is sought by filing a writ petition) or limitation (where remedy is sought by an application to the Administrative Tribunal). One of the exceptions to the said rule is cases relating to a continuing wrong. Where a service related claim is based on a continuing wrong, relief can be granted even if there is a long delay in seeking remedy, with reference to the date on which the continuing wrong commenced, if such continuing wrong creates a continuing source of injury. But there is an exception to the exception. If the grievance is in respect of any order or administrative decision which related to or affected several others also, and if the re-opening of the issue would affect the settled rights of third parties, then the claim will not be entertained. For example, if the issue relates to payment or re-fixation of pay or pension, relief may be granted in spite of delay as it does not affect the rights of third parties. But if the claim involved issues relating to seniority or promotion etc., affecting others, delay would render the claim stale and doctrine of laches/limitation will be applied. In so far as the consequential relief of recovery of arrears for a past period, the principles relating to recurring/successive wrongs will apply. **As a consequence, High Courts will restrict the consequential relief relating to arrears normally to a period of three years prior to the date of filing of the writ petition.**

उपरोक्तानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Tarsem Singh (supra)** प्रकरण में, न्यायलय के समक्ष प्रकरण दायर करने में 16 वर्ष के विलम्ब ने सम्बंधित एरियर राशि के दावे को प्रभावित किया था तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने 16 वर्ष की एरियर राशि देने के आदेश को अपास्त कर दिया था। मान न्यायलय द्वारा एरियर राशि सम्बन्धी सहायता को रिट पिटीशन दायर करने से तीन वर्ष पूर्व तक सीमित कर दिया था।

(vii) माननीय उच्चतम न्यायालय एवं मान उच्च न्यायलय इस सिद्धांत का अनुसरण निरंतर रूप से निम्न अन्य दृष्टांतो में भी किया गया है :–

(i) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील क्रमांक 4134 /2022 "रूसीभाई जगदीशचंद्र पाठक बनाम भावनगर म्युनिसपल कारपोरेशन"** में पारित निर्णय **दिनांक 18 मई 2022**

(ii) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील क्रमांक 10251 /2014 "असगर इब्राहिम अमीन बनाम जीवन बीमा निगम"** में पारित निर्णय **दिनांक 12 अक्टूबर 2015**

(iii) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील क्रमांक 3156 /2007 'मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य बनाम योगेन्द्र श्रीवास्तव"** में पारित निर्णय **दिनांक 07 अक्टूबर 2009**

(iv) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील क्रमांक 4349 /2023 " धरम पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एव अन्य"** में पारित निर्णय **दिनांक 11 जुलाई 2023**

(v) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा **रिट पिटीशन कमांक 17459/2023 (चंद शेखर चौरे बनाम म. प्र शासन एवं अन्य)** में पारित निर्णय **दिनांक 24 जुलाई 2023**

(viii) उपरोक्तानुसार कंडिका (स) में उल्लेखित न्यायदृष्टांतो के माध्यम से यह निर्धारित किया गया है कि याचिकाकर्ता कर्मचारी को किसी दावे के लिए रिट याचिका दायर करने के दिनांक से अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक की एरियर राशि प्राप्त करने की पात्रता आती है। इस प्रकरण में यह पाया गया है की वादी कर्मचारी श्री सुंदर लाल पवार द्वारा दैनिक वेतन भोगी सेवाकाल दिनांक 28.08.1986 से दिनांक 13.12.2010 तक की न्यूनतम वेतनमान एवं वेतन अंतर की राशि यानि एरियर राशि प्राप्त करने के लिये दिनांक 10.10. 2025 को रिट याचिका दायर की गयी है तथा उपरोक्त रिट याचिका के आधार पर उन्हें दिनांक 10.10. 2022 के पूर्व की एरियर राशि पाने की पात्रता नहीं आती है। इस संबंध में उनका दावा परिसीमा अधिनियम 1963 में निहित प्रावधानों में दी गई एवं माननीय न्यायालयों द्वारा निर्धारित की गई समय–सीमा के बाहर होने के कारण अमान्य किये जाने योग्य है।

(5) उपरोक्तानुसार श्री सुदंरलाल पवार, दैनिक वेतन भोगी ड्रायवर, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, खंड छिदंवाडा द्वारा दायर की गयी रिट याचिका कमांक 40857/2025 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.11.2025 के परिपालन में याचिकाकर्ता कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 10.11.2025 को उनका स्थायी वर्गीकरण इनटेक्ट नहीं होने, रिसज्युडीकाटा के तहत काग्रवाही प्रतिबंधित होने एवं प्रस्तुत दावा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न नयायालयीन निर्णयों के अनुसार निर्धारित की गई समय–सीमा के बाहर होने के कारण अमान्य किया जाता है।

(6) यदि याचिकाकर्ता श्री सुन्दरलाल पवार, इस कार्यालय द्वारा किये गये इस निराकरण से असंतुष्ट है तो वे इस आदेश के विरूद्ध अपनी अपील 01 माह के भीतर प्रमुख सचिव लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग, बल्लभ भवन, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रमुख अभियंता

पृ. क्रमांक 2548/प्र.अ./विधि (पी.ए.)/लोस्वायांवि./2026 भोपाल, दिनांक 25/3/26

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2– मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3– अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छिदवाड़ा की और सूचनार्थ प्रेषित ।
4– कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड छिदवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
5– संबंधित श्री सुंदर लाल पवार, दैनिक वेतन भोगी वाहन चालक, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

Speed Post

प्रमुख अभियंता